वर्तन किया गया है, उसमें प्रिन्सिपल का पे-स्केल तो 80 परसेन्ट ज्यादा कर दिया है, लेकिन प्राइमरी टीचर्स का केवल 7-8 रुपया बढ़ा है इस तरह से एक जबरदस्त डिस्क्रीमिनेशन हुआ है...

सभापति महोदय : माफ कीजियेगा, आप लोगों को जो बातें उठानी हों, कृपा कर पहले लिखकर भेजें। हम इसको एलाऊ नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त पहले लिया जा चुका है। आप लोग अब नई बात रेज न करें।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप मंत्री जी को कहिये कि वह इस बारे में वक्तव्य दें और उन को बुलाकर बातचीत करें। इस तरह का डिस्क्रीमिनेशन नहीं होनी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप उनसे कहिये कि वह स्टेटमेंट दें। वे लोग प्राइम मिनिस्टर के यहां धरना दे रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो पैरिस चली गई हैं।

सभापति महोदय : ठीक है आपने कह दिया है। श्री शिव चन्द्र झा।

14.38 hrs.

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL—(*Contd.*)

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, कल मैं कह रहा था कि यह टेक्सेशन लाज अमेण्डमेंट विधेयक, जिसके जरिये इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स के कानूनों का संशोधन किया जा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि इस कानून में कोई बुनियादी परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। साथ ही साथ इस विधेयक से यह भी साफ हो जाता है कि सरकार की जो टैक्स नीति है, वह मोटे तौर पर होच-पोच की नीति है। लेकिन एक दूसरा सवाल यह आता है कि भारतीय समाज को अपने विकास के लिए काम करना है और इसके लिए साधनों की जरूरत है और सरकार का अधिकार देश के तमाम साधनों पर नहीं है, अधिकांश साधन निजी लोगों के पास हैं, इसलिए साधनों को अधिक से अधिक जुटाने के लिए सरकार को अपने कानूनों में नये नये संशोधन करने पड़ते हैं ताकि उनकी सहायता से अधिक से अधिक धन उपलब्ध हो सके और हमारे विकास के कार्यक्रम आगे बढ़ सकें। इसलिए लाजमी हो जाता है कि इस संदर्भ में हम अपनी नीति का ठीक तरह से अध्ययन करें।

ब्रिटेन के चांसलर आफ दी एक्सचेकर ने, जिनको हम सब जानते हैं लेकिन हम में से शायद ही तमाम लोग उनको पसन्द करेंगे, एक दफा कहा—

> "The principle of taxation should not be, how much you got, but how you got."

कहने का मतलब यह है कि प्राफिटीयरिंग, एक्स्ट्रा-वेल्थ, गिफ्ट-वेल्थ आदि जो आप देते हैं, जितने फजूलखर्ची के साधन हैं, समाज का फर्ज हो जाता है कि टैक्स के माध्यम से समाज उसको ले ले।

यह ब्रिटेन के एक्समेकर ने कहा था, जिस का नाम मि० चरचिल था। सभापति महोदय, यदि सरकार इस नीति को अपनाना नहीं चाहती तो एक दूसरा रास्ता है और वह रास्ता है इंकम सीलिंग का। समाज में अन्य इन्कम पर सीलिंग लगाइये, जो आमदनी है उसकी हदबन्दी कीजिये और उसके अन्तर्गत टैक्स की नीति अपनाइये। कल बेणी शंकर शर्मा जी ने अमरीका की बात उठाई और उन्होंने कहा कि वहां का जीवन स्तर ऊंचा है और वहां पर शिक्षा का स्तर ऊंचा है और वे लोग बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वहां के भी टैक्स कानून में लूपहोल्स हैं और वहां पर भी टैक्स इवेजन होता है। चूंकि वहां पर टैक्स इवेजन होता है, इसलिये अमरीका

[श्री शिव चन्द्र झा]

समाज में भी इन्कम डिस्पेरीटीज हैं। हमारे मुकाबले में वे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वहां पर भी प्रोफीटियेरिंग है, मुनाफाखोरी है। इस लिये यह बात वहां भी चलती है। तो सभापति महोदय, चाहे अमरीका हो, चाहे ब्रिटेन हो और चाहे हिन्दुस्तान हो, जहां पर प्रोफिटियेरिंग की व्यवस्था है और जहां धन इकट्ठा करने की होड़ है, वहां पर टैक्स इवेजन की बात तो रहेगी ही। आप चाहे जितने लूवहोल्स ठीक करें लेकिन वह चलती ही रहेगी। इस लिये यह लाजमी हो जाता है कि कर नीति को सिम्पलीफाई और रेशनेलाइज करने के लिये इंकम पर सीलिंग की बात लागू की जाये, लेकिन इन्कम पर सीलिंग की बात लागू नहीं की जाती और इसका बुरा असर अर्थ-व्यवस्था पर पड़ता है, टैक्सेज एरियर्स में पड़ जाते हैं और टैक्स इवेजन होता है। तो सभापति महोदय यह खराब स्थिति चलती रहेगी। टैक्स का रूप वह रहेगा जो शेक्सपियेर ने मोटे तौर ग्राम ला के बारे में कहा था। उसने कहा था कि ला इज एन एस लेकिन ला और कानून के बारे में जो शेक्सपियर का कहना था, वह हो या न हो, लेकिन टैक्स ला के मुतालिक शेक्सपियर का जो कहना था वह सेन्ट परसेन्ट सही है। जो कानून के बारे में शेक्सपियर ने कहा था। हिन्दुस्तान के टैक्स ला के मुतालिक यह बात लागू होती है। इस से छुटकारा पाने के लिये इंकम पर सीलिंग लगाना लाजमी हो जाता हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि एक बार वह फिर हिम्मत करे और सरकार की तरफ से वह हिम्मत दिखाई जाये जो उसने 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण और राजा महाराजाओं के प्रीवी पर्सेज को खत्म करने में दिखाई थी। मैं मंत्री महोदय से कहूँगा कि वे जा कर प्रधान मंत्री जी से कह दें कि आज सारा सदन एक मत से कह रहा है कि टैक्स नीति को सुदृढ़ बनाने के लिये ही नहीं बल्कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये, इंकम पर सीलिंग लगाने की बात आप लागू करें।

सभापति जी, इस संदर्भ में जो यह विधेयक है उसके बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ और जहां तक क्लाजेज का सम्बन्ध है, उसके मुतालिक तो मेरे संशोधन हैं और जब वे संशोधन आयेंगे उनके बारे में मैं उस समय कहूँगा। इस विधेयक में पहली बात जो है वह फर्म के रजिस्ट्रेशन और रिकगनीशन के बारे में है। पहले जो विधेयक था उसमें रिकगनीशन की बात थी और उसमें रजिस्ट्रेशन की बात थी और बेनामी पार्टनर को पकड़ने के लिये सालवे जी ने बड़ी वकालत की, लेकिन मैं समझता हूं कि विधेयक में उस बेनामी पार्टनर को, जो टैक्स लाइबीलिटी से भागता है, पकड़ने का जो रास्ता है वह बहुत ठीक है।

दूसरी बात यह है कि विधेयक का जो मेजर हिस्सा है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि पिछली फरबरी में जो फाइनेन्श एक्ट आया था उस में एग्रीकल्चर इन्कम और एसेट की जो परिभाषा थी इसमें उस परिभाषा को सोकाल्ड अप-टू डेट बनाया गया और यह लागू होगा अप्रैल 1971 से और एसेसमेंट इयर 1971-72 होगा। इसलिए इसको सोकाल्ड अप-टू-डेट बनाने की कोशिश की गई हैं और उससे मैं सहमत हूं।

विदेशी टेक्नीसियन्स के बारे में दांडेकर जी ने कहा था कि :

> "Where will you get know how? You can have technicians but into competence."

दांडेकर जी को यह मालूम होना चाहिये कि यह गांधी जी का देश है। शायद उनको यह पता नहीं कि यहां भगत सिंह कोई मोनीटरी रिवार्ड के लिये फांसी पर नहीं चढ़े थे और ग्राम आन्दोलन में जो बहुत से लोग काम कर

रहे हैं वे कोई मोनीटरी रिवार्ड के लिये नहीं कर रहे हैं। आप के देश में भी इंजीनियर्स हैं और टेक्नीशियन्स हैं जो कि बहुत कम तनख्वाह पर काम करेंगे और विदेशों से बड़ी-बड़ी तंख्वाह दे कर उन को बुलाना चाहते हैं और उनको चार-चार हजार रुपये तंख्वाहें देते हैं और 24 महीने की उनको छूट भी दे रहे हैं। यह मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा है। इसको कम करना होगा।

हिन्दु अनडिवाइडेड फैमेली के लिये श्री जोगेन्द्र शर्मा ने ठीक कहा है कि यह एक हथियार हो गया है और हिन्दू अनडिवाइडेड फैमेली के जरिये पार्टनर्स अपना शेयर उसमें दे देते हैं और टैक्स की लाइबीलिजी से भागते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हिन्दू अनडिवाइडेड फैमेली का वह रूप आज नहीं है और वैसा रूप नहीं है जैसा कि अंग्रेजी के आने से पहले हिन्दुस्तान में था। सभापति महोदय, हिन्दू अनडिवाइडेड फैमेली आज टूट रही हैं, आप चाहें या न चाहें। इसका कारण उद्योगीकरण है और उसे हमें समाज में करना है और जैसे जैसे उसकी गाड़ी चलेगी पुरानी हिन्दू अनडिवाइडेड फैमेली का जो रूप था वह खत्म हो रहा है और इसको अब संयुक्त या सामूहिक या कोई दूसरा रूप ही होगा और उसका वह रूप नहीं होगा जिसको हम पुरानी हिन्दू अनडिवाइडेड फैमेली में देखते थे। सालवे जी ने और दांडेकर जी ने कहा है उनकी दलील काम नहीं करती।

सभापति महोदय एक बात और है। आप ने जो छूट दी हैं उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि ब्लाइन्ड या पर्मनिन्ट इनवैलिड पर आप जरा और दया दिखाइये। इनको आप दिल खोल कर कन्सेशन दें। 4 हजार रुपये की जो इसको छूट दी है और उसको 5 हजार कर देना चाहिये। इसके मुतालिक मेरा संशोधन भी है और उस समय मैं इस पर कहूंगा।

अब मैं पनिशमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पनिशमेंट देने की जो बात है उस के बारे में सालवे जी ने कहा कि कार्पोरल पनिशमेंट बड़ी सख्त सजा है और यह आज कल के हमारे वातावरण में फिट नहीं करता है। सभापति महोदय, शान्तिप्रिय सत्याग्राही, जो संविधान के अन्तर्गत सड़कों पर चलते है और अपना प्रदर्शन करते हैं उन्हें तो आप जेल भेज सकते हैं, क्या वह सजा सख्त नहीं है ? आप उनको इतनी बडी सजा दे रहे हैं और इन के लिये आप कहते हैं कि यह सख्त सजा होगी। इनको यह सजा देने के पक्ष में मैं हूं।

एक बात में फीस के बारे में कहना चाहता हूँ। जब एक मामला एपेलेट ट्रिब्यूनल में ले जायेगें टैक्स के मामले में और फिर वह हाई कोर्ट में जाता था तो उसकी फीस 150 से 250 हुई थी। उसको अब 125 रुपया किया जा रहा है। यह बढ़नी चाहिये।

आखिर में सभापति महोदय मैं कहूँगा कि इस विधेयक को स्ट्रीमलाइन करने के लिये रेशनेलाइज करने के लिये और साइंटीफिक बनाने के लिये मंत्री जी मेरे एक संशोधन को मान लें। इससे जो इसकी मौजूदा बनावट है उसमें सुधार होगा, वह रेशनेलाइज होगा और सिम्पलीफाई हो जाएगा। अगर आप यह नहीं मानते हैं तो सभापति महोदय. आप यह पूछेंगे कि आप इस विधेयक के बारे में क्या करेंगे, तो मेरा कहना यह है कि इस विधेयक के साथ हम वही करेंगे जो दूसरे विधेयक के साथ करतेहैं कि :

something is better than nothing.

इसमें कोई बड़ा परिवर्तन, रेडिकल परिवर्तन या कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं होने जा रहा है लेकिन something is better than nothing इस ख्याल से मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति जी जो विधेयक इस सदन के सामने है इसमें कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ ऐसी

[श्री कंवर लाल गुप्त]

बातें भी हैं जिनसे जनता के ऊपर बोझ पड़ेगा। श्री दांडेकर जी ने इसका मोटे तौर पर स्वागत किया है, पर मैं उतनी भाषा में उतने जोरदार शब्दों में इसका स्वागत नहीं कर सकता। मैं यह जरूर मानता हूँ कि कुछ अच्छी बातें भी इस विधेयक में हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं। जो लोगों को बहुत ही ज्यादा तंग करेंगी। इसलिये मेरे ख्याल से यह विधेयक एक निक्सड बेग है। सभापति जी इसमें दो तीन अच्छी चीजें जो भी हैं उनमें से एक तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति, छोटे लोग, जो अपना नक्सा दाखिल करेंगे इन्कम टैक्स आफीस में, उसमें इन्कम टैक्स आफीसर को यह अधिकार दिया गया है कि जो गलती ऊपर से लगती हो उस को वह ठीक कर दें।

उनको बदलने की भी जरूरत नहीं होगी और उसका वह असेसमेंट करके भेज देंगे। इससे हजारों लोगों को लाभ होगा और मैं समझता हूं कि ईनकम टैक्स आफिसर्स का बोझ भी कम होगा।

इसी तरीके से जो कम्पनी लगाने से कुछ खर्चा अभी तक मिलता ही नहीं था, वह कुछ खर्चा इसके अन्दर दिया गया है जो कि दिया जाना चाहिये था। इस तरह से इसके अन्दर और भी बहुत सारी चीजें ठीक की गई। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो पहले से ज्यादा टेढी हो गई। वैसे तो अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि इनकम टैक्स ऐक्ट को बार बार नहीं बदलना चाहिये और अभी क्या होता है कि हर एक फाइनेंशल बिल के समय इतनी इसमें बदल होती है कि इनकम टैक्स आफिसर को यह मालूम नहीं होता कि इन्कम टैक्स ला किस साल के लिये क्या होता है। यह एक ऐसा जंगल है कि इसमें तरह तरह की चीजें उग रही हैं। किस आदमी को कौन सी चीज चाहिये, वह निकलना मुश्किल हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा सरकार से कि अगर सरकार सही मानों में इनकम टैक्स ला को एक साधारण कानून बताना चाहती है जिसको सर्वसाधारण लोग समझ सकें तो उन को एक बार तरमीम, संशोधन करना चाहिये, वह करना चाहिए और उसके बाद 5-7 साल इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस परिभाषा को सामने रखा जाएगा तो यह इनकम्प्लीट बिल है। कई चीजें और हैं जो इसमें ठीक होनी चाहियें थीं। लेकिन वह नहीं हुई हैं।

मैं मंत्री महोदय से कहूँगा कि आपने एक कमेटी बनाई हुई थीं, उससे पहले भी कमेटी बनी, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट जब सरकार के पास आती है तो सरकार उसमें से जो ज्यादा टैक्स लेने वाली बात है वह तो ले लेती है और सिम्पिलिफिकेशन की बात या जो यह जंगल है उसको काटकर ऐसी चीज को जो साधारण आदमी की समझ में आ जाए वह ज्यों की त्यों कायम रहती है। यह भी बिल का एक नमूना है।

अध्यक्ष महोदय, एक चीज जो सिम्पिलिफिकेशन की बात मैंने कही अभी 4800 रु० तक टैक्स माफ है और अगर यह देखा जाए कि यह सरकार 6000 रु० तक टैक्स माफ कर दे तो कितना घाटा होगा? मुश्किल से 1 या डेढ़ करोड़ रुपए का घाटा होगा और उतना ही सरकार का खर्चा लग जाता है। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि क्यों लोगों को तंग किया जाता है। और अगर इस प्रकार से सरकार समझ ले तो जैसे महंगाई बढ़ती जाए, लोगों की तकलीफें बढ़ती जाती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए यह लिमिट भी ऊपर करे।

कुछ चीजें, अध्यक्ष महोदय, जो इस बिल में हैं मैं तीन-चार चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह उनके बारे में ध्यान दें।

अभी जो फारन टैक्नीशियंस के बारे में पाबन्दी इसमें लगी है, मैं उसका स्वागत करता हूँ । लेकिन सभापति जी, आप मुझसे इस बारे में इत्तिफाक रखेंगे कि आज हमारे देश में 50 हजार इन्जीनियर हैं जो बेकार हैं और उनको नौकरी नहीं मिलती है । अब जिन व्यक्तियों की या फारन टैक्नीशियंस की 4000 रु० तनख्वाह हो और दो साल तक वह हिन्दुस्तान की किसी कम्पनी में रहे और उनको टैक्स से भी छूट मिले, क्योंकि वह फारन टैक्नीशियन और हमारा जो इन्जीनियर है, अगर वह काम करता है उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरीके से आप फारन टैक्नीशियस को इनकरेज नहीं कर रहे हैं ? अगर उनको इनकरेज कर रहे हैं और दूसरी चीज यह फारन टैक्नीशियंस कहां हैं ? सभापति महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जितने हिन्दुस्तान में फारन टैकनीशियंस हैं उनमें से 75 परसेन्ट पब्लिक सेन्टर अंडरटेकिंग्ज में हैं और यह सरकार की तरफ से सारा पैसा जा रहा है । तो मेरा कहना यह है कि आप अगर हिन्दुस्ताम के इन्जीनियर्स को इनकरेज करना चाहते हैं तो मैं तो इसके बिलकुल विरोध में हूँ कि फारन टैकनीशियंस को किसी प्रकार की इनकम टैक्स में छूट देनी चाहिये। अगर देना भी है तो अगर किसी कम्पनी में आग लग जाये या कोई ऐक्सीडेंट हो जाए उसको रोकने के लिए अगर कोई हिन्दुस्तान में उस तरह का कंपीटेंट आदमी नहीं है, जैसे कोई साफिस्टिकेटेड इंडस्ट्रीज हैं अगर उस केस में आप छह महीने के लिए कोई बाहर से टैक्नीशियन आये, उसमें आप छूट देंगे तो मैं इसका स्वागत कर सकता हूँ । लेकिन इतने हमारे इंजीनियर बेकार हैं और फारन इंजीनियर को आप रखें और हिन्दुस्तानियों को नहीं, तो यह भी अच्छा नहीं है ।

दूसरी चीज, अध्यक्ष महोदय, इसमें एच० यू० एफ० हिन्दू अन-डिवाइडेड फैमिली के बारे में भी कही गई । इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति अगर अपनी कमाई हुई चीज वह मुस्तरिका खानदान में डालता है और सरकार उसको स्वीकार नहीं करती, उसकी जो आमदनी है, अगर वह फिर बंट जाएगी तो उसकी आमदनी पहले की तरह लगेगी और मुस्तरिका खानदान को स्वीकार नहीं होगी । अभी दांडेकर जी ने भी कहा और मेरे दोस्त झा साहब तो चले गये, उन्होंने कहा कि यह इवेजन का एक तरीका है । लेकिन यह तरीका इवेजन का हो सकता हैं । और कई चीजों में इवेजन का तरीका है । आप रजिस्टर्ड फर्म बनाइये, उसमें भी लीगल प्रवाइडेंस है, कम्पनी में भी लीगल प्रवाइडेंस है । लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई व्यक्ति हिन्दुस्तान में, क्या आप यह विजुअलाइज नहीं करते, कि एक आदमी बीमार हो जाता है, उसको पता नहीं कि क्या कुछ हो जाये । लेकिन अगर वह अपने बच्चों के लिए अपनी कमाई हुई चीज को एच० यू० एफ० में डालता है तो उसके लिए सरकार के पास क्या इलाज है ? और इसमें प्रवाइडेंस कितना है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आंकड़ों से आपको बताना चाहता हूँ हमने गवर्नमेंट से इसके बारे में मालूम किया और गवर्नमेंट ने चार बड़े शहरों में इसका सर्वे किया कि आखिर इसका टेक्स इवेजन के ऊपर क्या असर पड़ता है । सरकार कहती है कि करोड़ों रुपये का असर होता है । दिल्ली, अहमदाबाद, बम्बई और कलकत्ता में इसका सर्वे हुआ कि एक साल में कितना रुपया इस तरीके से इनकम टैक्स का बच गया ? आपको आश्चर्य होगा कि उस रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली में 1 लाख 80 हजार रु० बच गया। अहमदाबाद में 3 लाख 6 हजार, बम्बई में 3 लाख 75 हजार दो सौ तिरासी, कलकत्ता में 1 लाख 23 हजार दो सौ छियासठ—कुल मिलाकर 9 लाख 549 रुपया बचा जब कि उस सारे साल में डाइरेक्ट टैक्स से आमदनी 423 करोड़ रुपये की है । 423 करोड़ रुपये में से केवल 9 लाख रुपये बचते हैं । अगर यह

[श्री कंवर लाल गुप्त]

सरकार जो छोटे-छोटे गरीब मुस्तरिका खानदान के लोग है उनके ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर या कल को किसी के पति का देहान्त हो जाये, उसकी पत्नी के ऊपर जो परम्परा से हजारों सालों से चीज चली आ रही है, उसको आप बदलना चाहते हैं केवल 9 करोड़ रुपये के लिये, तो मैं समझता हूं कि यह सरकार को दोबारा सोचना चाहिये और हमारे जो पूर्वजों ने हमारी मुस्तरिका खानदान की एक परम्परा चालू की है, यह सरकार इसको बिगाड़ने की कोशिश न करे।

तीसरी चीज अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि जो व्यक्ति इनकम टेक्स के नक्शे देर में दाखिल करता है, आपने उसमें यह कहा है कि पहले तो इससे भी खराब प्राविजन था, लेकिन अब कुछ उसमें सशोधन करके पहले से तो ठीक किया कि—अगर वह जानबूझकर नक्शा देर में दाखिल करता है तो उसको दो साल की सख्त कैद की सजा दी जाए। मुझे, जो इंकम टेक्स की चोरी करते हैं, उनसे कोई सहानुभूति नहीं और मं समझता हूँ कि सदन के किसी भी सदस्य को उनसे सहानुभूति नहीं हो सकती, लेकिन मौलिक सवाल यह है कि आया आम इनकम टैक्स ऐक्ट को एक क्रिमिनल ला बनाना चाहते हैं। क्या हमारे देश में सभी कानून की पाबन्दी होगी। जब हर एक आदमी को जेल में भेजा जायेगा नहीं तो कानून की पाबन्दी नहीं होगी ? क्या यह पुलिस राज... (व्यवधान)। क्या इस प्रकार से इस देश में डेमोक्रेटिक राज रहेगा या बनर्जी साहब की कल्पना का पुलिस राज रहेगा ? लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि आपकी उनके साथ दोस्ती हैं, लेकिन उसके लक्षण आपकी नीतियों में नहीं आने चाहिए।

आप पेनैलिटी लगाइये। अब भी क्या है ? जो नक्शे दाखिल नहीं करता उस पर काफी हेवी पेनैलिटी है। जो टैक्स इवेड करते हैं उन पर अलग पेनैलिटी है, जो ऐडवान्स टेक्स नहीं देते उन पर अलग पेनैलिटी है। आज भी छः सात तरह की पेनैलिटीज हैं। कोई देर में रिटर्न दाखिल करता है, कोई टैक्स बचाता है तो उस पर अच्छी तरह से पेनैलिटी लगाइये। जो टैक्स बचाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जुर्माना देना चाहिये। लेकिन अगर आप इस तरह से करते हैं कि एक अफसर के हाथ में इतनी ताकत आ जाय कि वह करप्ट हो जाये और लोगों से पैसे मांगे तथा दूसरे लोगों पर जेल की तलवार लटकती रहे, तो यह कोई प्रजातन्त्र के अनुरूप चीज नहीं है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह गम्भीरता से इस पर विचार करें। टेक्स इवेड नहीं होना चाहिये, यह सब मानते हैं लेकिन जो कानून है उसका पुलिस के जरिये से ऐडमिनिस्ट्रेशन हो, यह चीज अच्छी नहीं होगी।

15 hrs.

आखीर में एक चीज कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। आपने रजिस्टर्ड पाटनरशिप को थोड़ा सा ठीक किया है। मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन इसमें आपने जो क्लाज रक्खा है उसमें आपने कहा है कि अगर किसी फर्म में चार पार्टनर हैं और उनमें कोई एक किसी पार्टनर का बेनामी है, तो वह फर्म रजिस्टर नहीं होगी। यह बहुत भयानक चीज है। आखिर जो तीन लोग हैं वह तो पार्टनरशिप ऐक्ट की तहत पार्टनर माने जायेंगे, लेकिन जो किसी आदमी का बेनामी होगा उस की वजह से फर्म रजिस्टर नहीं होगी। जो भी बेनामी है उस पर चाहे कितनी पेनैलिटी लगाई जाय, जितनी उसकी आमदनी हो वह सारी की सारी ले ली जाये पेनैलिटी में, लेकिन बाकी जो तीन लोग हैं उनको आप पेनलाइज क्यों करना चाहते हैं ? हो सकता है कि बाकी तीनों पार्टनर्स

को पता ही न हो कि चौथा आदमी किसी का बेनामी है ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : यह नहीं हो सकता ।

श्री कंवरलाल गुप्त : श्री शुक्ल माने या माने, लेकिन यह जरूरी नहीं है । आखिर मैं और वह कितने दोस्त हैं लेकिन वह अपने घर की कितनी बाते हम को बतलाते हैं ? कितनी ही बातें हैं जो नहीं बतलाते । इसलिए श्री शुक्ल की मुझ से कितनी ही दोस्ती हो, उनकी सारी बातें मुझ को नहीं मालूम हैं । अगर श्री शुक्ल के कारण मुझ पर जुर्माना किया जाय तो यह नेचुरल जस्टिस नहीं होगी, बल्कि उसके खिलाफ होगी । अगर कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो उसकी सारी की सारी आमदनी सरकार ले लें, मैं इस का समर्थन करता हूँ । टैक्स बचाना या बेईमानी करना पाप है. लेकिन एक आदमी के कारण दूसरे आदमियों को पेनलाइज करना गलत होगा ।

जो बिल सेलेक्ट कमेटी से आया है उस में काफी संशोधन किये गये हैं, और अच्छे संशोधन किये गये हैं, फिर भी इस में कुछ कमियां हैं । मैं इस को मिक्स्ड बैग समझकर समर्थन भी करता हूँ और विरोध भी करता हूं और आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय मेरी बातों को सुनकर इस पर पुनर्विचार करेंगे ।

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar) : I am thankful to the Hon. Members who have participated in the discussion of this Bill.

I must say that this Bill, having come as it is to the House is due to the wisdom and the great spirit of cooperation amongst all the Members who worked in the Select Committee. They worked together very hard on the various provisions of the Bill.

As my hon. friend, Shri Dandeker pointed out, and as Shri Kanwar Lal Gupta pointed out, there are so many new features in this Bill which can be called as really a milestone in the matter of Income-tax laws so far enacted by this Parliament.

There are many new features in this enactment and these new features have to be welcomed by the assessees and by the country as a whole.

Take the case of even extending the travel concession to Government employees. This is a great thing, and I hope that it has been accepted very well by all the Government employees namely that they can travel to any place in India whereas formerly they could do so only to their home-town. Futher, in order to extend this facility to the male or female members, we have replaced the word 'wife' by 'spouse' so that others can also get the benefit of this travel concession.

With regard to the question of technicians, as my hon. friend Shri Kanwar Lal Gupta has just pointed out, when, we were giving some tax concessions to the foreign technicians before, the process of development of Indianindurstry was at a stage when they needed some encouragement. But during the last twenty years, Indian industry and Indian technical know-how have developed to a great extent, and our laws must be commensurate with the new developments that have taken place in the country in the sphere of industrial know-how. Therefore, the Committee in its wisdom has decided not to allow further exemption of tax for the foreign technicians in the manner it was extended before. Therefore, the Committee has lowered it. This will greatly benefit the vast number of new technicians and entrepreneurs who are coming up in India and they can take advantage of this, and our economy will become self-reliant more and more from year to year, and these tax measures will help the Indian technicians to gain self-confidence in manning the various spheres of industry.

Another welcome feature is the giving of amortisation to the extent of 2½ per cent of the expenses. This will give impetus to the new entrepreneurs and even the industrialists to expand their industries in the country, and it will help in industrial expansion. This 2½ per cent is a completely new feature in this Bill. Even in some of the Western countries I do not think that they allow this kind of amortisation as we have tried to give. I hope the industrialists will take advantage of this new encouragement that Parliament is going to give in is wisdom in this field and I hope that in the coming years India will see vast industrial expansion with new

[Shri Chintamani Panigrahi]

industrial ventures taking advantage of this benefit.

We have also tried to suggest that expenditure incurred on preparation of feasibility reports or for the conducting of market surveys or project Reports any other survyes or engineering surveys relating to the business of the assessee, will qualify for amortisation not only where the work is carried out by any other concern, but also where the work is carried out by the assessee himself. This also will be of great advantage.

In regard to the Hindu undivided family, my hon. friends have been a little worried over the amendment. But we have discussed this amendment threadbare in the Select Committee and we have come to the conclusion that this Bill does not seek to break the Hindu undivided family, but its real aim is to see that this ancient institution, this great institution, in our country is not in any way utilised for evasion of taxes.

I hope these new features in this Bill would be welcomed by all. Once again, I must say that this Bill has emerged in its present form as a result of the efforts of the Members of the Select Committee and the Government and with the co-operation of the officers also; there has been a kind of mutual co-operation which has helped this new Bill to emerge.

I hope that this new milestone in the income-tax laws will enable us to see that at least in the coming years we do not again try to have further laws, and if at all we come forward with any new tax laws we shall be bringing forward only comprehensive tax laws so that for years together, we do not come for further amendments in this regard.

With these words, I commend the Bill for the acceptance of the House.

SHRI N. K. SOMANI (Nagaur): We have just been told by the distinguished Chairman of the Seleet Committee that this Bill is a milestone in Indian financial or income-tax history. I do not know whether this is a milestone; I would rather call it as a millstone, because if you examine it objectively and dispassionately, you will find that although here and there some bread crumbs have been thrown, and that too in fields and areas where it has been long over due, this Bill is a complete hotch-poch reflecting the mixed thoughts, the confused thinking, on the part of our Government.

A lot of sound and fury has been made by some of the earlier speakers as if the whole sky in the shape of concessions has been given to industry, trade and business. I propose to show by taking up only two or three items that this is certainly not so.

I would also like to emphasise that although there is a tall claim that this Bill is a distinct step towards rationalisation and further simplification of the entire hydra-headed monster that we call the Indian income-tax Act, I think it hardly achieves that purpose. And not being an income-tax practitioner or experienced man in this field, whatever I have to say is as a result of my limited experience as a taxpayer and businessman.

I would briefly mention that a lot of criticism has been made about the tax-free ceiling of Rs. 4,000 a month to foreign technicians. Both in the Select Committee and in our tours from one part of the country to another as well as on serveral other occasions, I have always stood up in favour of Indian technicians and said that as long as there is even a slight iota of a possibility that a particular thing can be done by an Indian technician, by all means let us ban the foreign technician from that area. But what has happened has been pitiable so far, and I think the blame should squarely be laid on the door of Government which is responsible for clearing the entry and the duration of the stay of foreign technicians in this country upto now and also in future.

But let us, for a moment, examine this limit of Rs. 4,000 a month. In the case of a foreign technician, it is abosuletly necessary under the rules that are likely to be framed by the Central Board of Revenue or the Board of Direct Taxes that when a particular field requires the visit of a foreign technician from abroad, $ 1,000 a month or Rs. 7,500 should be granted as the bare minimum. Now Government would like to say that the excess of the amount over Rs. 4,000 upto Rs. 7,500 can be borne by the employer or the company that is importing the technician. This, I think, would be begging the question. Once again, I would say that you can make the entry of foreign technicians as difficult

as possible, but once having clearly established the need for a foreign technician for the technological, economic and industrial development of the country in a particular sphere, we will have to make a sensible limit of Rs. 7,500 as the bare minimum going by market value.

Now I would turn briefly to the insertion of a new section, 35D, concerning amortisation. The Chairman of the Committee who preceded me has sought to make it out as if this is a very big concession given to industry. It is for the first time that they have conceded in part, and a very small part, that amortisation is also an item of accounting and whatever that cannot be provided by either revenue expenditure or capital expenditure and the injustice that has been done to Indian industry so far is sought to be met only half-way. I need not quote to the hon. Minister the very clear and sensible recommendation of the Bhoothalingam Committee, which said that as far an expenditure of this nature is concerned, pre-operational and pre-perduction. the entire expenditure allowable should be allowed as capital and revenue. This item has been treated as a *Trisanku* so far ; it has neither been allowed to be captalised, nor allowed as revenue expenditure. For the first time, a paltry sum of a level of 2½ per cent of the capital employed as per definition of this Bill is sought to be given for amortisation. I do not think that it is a concession. It certainly is a trend in a new direction which has been denied so long.

Shri Panigrahi also said that in certain foreign countries this practice did not exist. There is no point in quoting in part from one country whenever it suits a person. If we have the economic development level of those other countries, I will be willing to concede his point and withdraw this altogether.

I would only take up two more points. One is inrespect of HUF which, a lot of Members have said, needs to be abolished as far as income-tax concession or recognition is concerned. When this Government in the last 23 years has not improved conditions to such an extent that there is no person who is invalid in our society, that nobody is unemployed in our society, that the blind and the incapacitated are able to look after themeselves either by their own economic activity or through the munificence of the Government, it is a retrograde step to abolish the hotchpotch created specifically for the purpose of maintaining the dependents who are invalids or who have not got jobs. This is not the time to do it when the Government is not in a position either to give unemployment insurance or to give any kind of relief or assistance to these needy sections of the society who are in sore need of it. If some body proceeds to make a hotchpotch for a Hindu undivided family for a small period and then proceeds to bifurcate it just for the purpose of tax avoidance, by all means pounce upon him. But when you say that the *Karta* or a male member instals a fund purely, specifically and by definition only for purposes of the maintenance of his relatives, dear and near ones, who have no other source of income or livelihood, then I think this is a very premature and unfortunate step. Therefore, by our Amendment No. 107 we have made the suggestion that so long as there is no further division of this particular corpus or fund, Government should certainly allow it, and amend the Bill to that extent.

Mention has been made about benami. Very specifically and very clearly I would like to denounce this institution and practice of benami in our country. I asked pointed questions not only of the representatives of business and industry but also of the Chartered Accountants and other distinguished witnesses who appeared before the Committee, as to what was the sense behind keeping this institution of benami in our country. Neither the Government. Department nor the witnesses were able to give us even one sensible reason as to why it should be continued to be recognised either in the shape of a partnership firm or under the Indian Benami Act. Therefore, I would like to reiterate that this should be abolished once and for all, and there should no ground for encouraging this at all.

My last point is in respect of transfer of an industrial undertaking within a State. It has now become unfortunately a political issue whether the managers or owners or share-holders should be allowed to shift their industrial undertakings from one part of the country to another part of the country but outside the State. Let us keep out of this controversy. But I see no reason at all for withholding the benefit of amortisa-

[Shri N. K. Somani]

tion of expenditure in respect of a transfer whitin the State. There were a lot of people who tought that the entire industry would flee from Kerala or West Bangal. To answer these people, we have suggested that if for purely technical reasons, for reasons of raw material or power or site considerations it becomes necessary to move an industrial undertaking from one part of the State to another, the full benefit of this must be given to that industrial undertaking, and to that extent this particular clause on amortisation is incomplete, and I am sure Mr. Panigrahi would also see the force of my argument.

Before sitting down I would like to reiterate that this talk that the Bill gives tremendous and unlimited concessions to business, trade and industry is completely wrong. This is a limited approach, a mixed approach, but if we have to take steps towards the direction of simplification, rationalisation and economic incentives to improve our country, the industrial interests and industrialisation of this country, I think a lot more will have to be done in this regard.

SHRI BEDABRATA BARUA (Kaliabor) : The amendments proposed to the Income-tax Act, Gift tax Act and Wealth Tax Act and all that are a step in the right direction. Complaints have been made that the tax laws have become all too complicated and cutting the Gordian knot has become necessary. Complaints have also been made regarding the malpractices that were going on in the name of benamidars, partnerships, Hindu undivided family, etc. Some restrictions have been put to check such malpractices and personally I would have welcomed more restrictions than those contained in this Bill. If the taxation laws, at least the principal ones such as the income-tax, gift tax, wealth tax, estate duty, etc, were properly enforced in the country, there would not have been the vast inequality that exists in the country today. So there is need to see that the malpractices that arose out of the application of those laws and the complications that arose are removed. It is not that one needs to be progressive. In letter, all our taxation laws are progressive laws. If income-tax is paid at the rates at which they should be legally paid, I think that no one can make huge profits now. It is not done. We have created black money because of these laws. Compared to the laws that some other countries have, we are not so progressive. For instance, in Formosa they have solved the problem of assessment of wealth for wealth tax. They allow the assessee to say the value of his wealth and the Government retains the option to take that property at the declared value. It does not require a number of complicated laws. If I declare that my property is worth Rs. 10 lakhs, Government has the right to pay me Rs. 10 lakhs and acquire my property. There are no parapharnalias as notwithstanding and whereas and so on. Such a law would be considered revolutionary and radical here. We can possibly get things done by the officialdom and the community. Apprehensions have been expressed here that if more powers are given to the taxation officers, it will lead to more narassment of the people. We have to cut the Gordian knot somewhere. If we do not give more power to them, possibly the assessees would escape without payment of taxes. We have to take stringent steps : and at the same time we should see that there is no harassment to the assesses and honest people. Sometimes it is the honest people who are harassed and who suffer.

My friend Mr. Somani says that the Hindu undivided family is a sort of insurance. I think the whole country has to be insured against poverty. Ninety per cent of our people are very poor and there is no insurance for them even inside the Hindu undivided family. There are two laws—the Mitakshara and Dayabagha. We do not have practically Hin u undivided family in Assam. The mitakshara laws are applied in such a way that we can possibly escape all tax liabilities taking cover under the Hindu undivided family. I do not think these provisions would break up that system ; it would not break merely because some money is involved. Brothers and father can still remain together even when they pay tax as separate entities.

I do not consider that it is a very serious attempt. A more serious attempt should be made so that we tackle the individuals and we do not simply go about it. Do not allow

a system where in the name of Hindu undivided family one can escape practically all the liabilities altogether.

Regarding the argument given by Mr. Gupta that offences in regard to taxation cases should not be considered as coming under criminal laws, I would say exactly the opposite. I would ask that if a man pick-pockets another man by Rs. 2, should be treated as coming under the criminal law, why a man who pickpockets the Government of lakhs and lakhs of rupees or crores and crores of rupees should be considred not subject to criminal laws. Therefore, I feel that our system of law should be such that we should be free from criticism. Some of the things that Karl Marx said were right, though I do not claim to be a Marxist. But it is true that our system of law certainly should not be considered as a class system of law.

We do punish a pickpocket or a man for stealing. I once found a man who was in jail for six months without trial, because he stole a hen from somebody's house. He was in jail for six months without trial because nobody had money to pay or stand bail for him.

SHRI N. K. P. SALVE (Betul): Was it a golden egg that it laid?

SHRI BEDABRATA BARUA: No; it was an ordinary egg. It came under several sections of the law and nobody could rescue him. He was in jail. At last somebody, a lawyer, came and then the man was taken out. Such things happen. If Mr. Salve who is practising in higher courts may not know about these things. It has happened under the criminal laws. For some mysterious charges like dacoity, a man has to stay in jail; even if it is a hen. But if the man cheats the community, or society, by lakhs and lakhs of rupees or crores of rupees, he cannot be touched. So, I do not believe in that argument; we do require some sort of strong laws in the country to bring to book these people, big fishes, who have been creating great complications for the country.

I think this Bill, by and large, is a step in the right direction. It does give some concessions. to the common people, and also to the business people. It is, however, by no means a radical measure. It is just an attempt. I would like to say that the Government should take forward steps immediately to bring about a simplification of the taxation laws. We in India specialise in complicated laws. The people do not understand even the simplest things in life, and so how can they understand complicated laws which are unperallelled anywhere in the world except in those very sophisticated countries like England and so on? I have not seen in any other country, whether in Africa or Asia, which does things in such a complicated manner and tries to put so many types of things into one particular legislation. I think a simplification of these laws is necessary and some sort of consideration should also be given to the salaried people who alone appear to pay the income-tax in very good measure and upon whom the tax officers take more stringent views. It is the salaried people who pay regularly. When I was a professor and then Principal or Vice-Principal in a college, I used to receive summons frequently saying, "You are required to explain this matter. You come to Sibsagar." I had to travel 60 miles to go to Sibsagar and then explain something very simple. They say, "As examination fees you got Rs. 80 and where is it shown" and so on. Of course, it does not matter much for a professor in any case, but it is the salaried people. the salaried class, who get the worst treatment from the tax officers. They should be treated better. So, we should, really try to solve this problem and try to modify the taxation laws. I think a lot of modification is necessary. I request the Government to consider my suggestion.

With this reservation, I support this Bill.

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur): Mr. Chairmain, Sir, year after year, the taxation laws are being amended, and the objective obstensibly is that taxation laws should be simplified and rationalised. But in effect what we see is that despite the various committees that are appointed, the law continues to become more and more complex. Besides, even the recommendations of the Boothalingam Committee have not been fully implemented. That report was intended to simplify and rationalise the law. But what the Government appears to be doing is .

MR. CHAIRMAN: Please continue the next day.

SHRI S. S. KOTHARI : Yes.

---

15. 30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Sixty-Seventh Report

SHRI P. G. SEN (Purnea) : I beg to move :

> "That this House do agree with the Sixty-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 10th November, 1970."

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय इस पर मेरा एक संशोधन है। इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें भेजी हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के द्वारा दो तिहाई बहुमत से विधान परिषदों को समाप्त करने के प्रस्ताव पारित हो गए हैं, जिसकी सूचना वहां के स्पीकरों द्वारा लोक सभा को दी गई है, फिर भी यह सरकार अपनी ओर से कोई विधेयक इस सम्बन्ध में पेश नहीं कर रही है, ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट को अपनी राय देने का मौका ही नहीं मिलेगा, तथा बहुमत इसके हक में है या खिलाफ है, इसका पता कैसे चलेगा ? इस तरह से जब सरकार स्वयं विधान सभाओं के प्रस्तावों को दबाने का काम कर रही है अपने स्वार्थों को लेकर, क्योंकि सत्ताधारी कांग्रेस में इसको लेकर कुछ झगड़े हैं तो क्या प्राइवेट मेम्बर्स कमेटी का यह फर्ज नहीं है...(व्यवधान)... बंगाल में हुआ, पंजाब में हुआ, मध्य प्रदेश में रोका गया। ऐसी हालत में इस कमेटी का फर्ज हो जाता है कि पार्लियामेंट को बहस करने का मौका दे और मेरा ख्याल है कि श्री भोगेन्द्र झा और श्री जार्ज फरनान्डीज के उत्तर प्रदेश विधान परिषद् और बिहार विधान परिषद् के बारे में बिल हैं, लेकिन उनको वरीयता नहीं मिल रही है, बैलेट में नहीं आ पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस रपट को इस कमेटी के पास वापस भेज दिया जाय, इस सिफारिश के साथ कि बिहार और उत्तर प्रदेश की विधान परिषदों को समाप्त करने के बारे में जो विधेयक पेश किए गए हैं, उनको वरीयता दी जाय और पार्लियामेंट को मौका दिया जाय। अगर बहुमत इसके हक में नहीं है तो वह गिर जायगा। लेकिन अगर बहुमत इसके हक में है तो पास हो जायगा, यह झंझट खत्म हो जायगा। इस लिए मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूं।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : सभापति महोदय, श्री मधु लिमये ने आपके सामने जो संशोधन रखा है, मैं उसके समर्थन में अपनी आवाज मिलाना चाहता हूं, क्योंकि आप इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि जहां तक हमारे संविधान का सम्बन्ध है, उस में केवल इस बात की आवश्यकता रहती है कि विधान सभा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास कर ले। वह प्रस्ताव न केवल इन दोनों राज्यों की विधान सभाओं द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं, बल्कि उनकी सूचना भी लोक सभा के अध्यक्ष और पार्लियामेन्ट्री अफेअर्स मिनिस्टर और अन्य सभी व्यक्तियों को जिन की संविधान में आवश्यकता है, दी जा चुकी है, इस तरह से सूचना के मामले में भी पूर्ण रूप से कम्प्लायेंस हो चुका है। वास्तव में तो यह सरकार का कर्तव्य था कि इस विषय के विधेयक ला कर और प्राथमिकता देकर पारित कराती, लेकिन जब इस सरकार की नीयत इस मामले में साफ नहीं है, वह किसी राजनैतिक दबाव के तहत उस को नहीं लाना चाहती, उस के सामने कुछ दूसरे हित हैं, जो इस में रुकावट डाल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जो दो निजी विधेयक दो माननीय सदस्यों ने पेश किये हुए हैं, हमें उन पर विचार करना चाहिये। जिन विधान सभाओं ने उन प्रस्तावों को पारित किया है,